

प्रेस नोट दिनांक- 25.08.2025

थाना अलीनगर जनपद चंदौली

→ थाना अलीनगर पुलिस टीम व आर0पी0एफ0 के संयुक्त कार्यवाही के दौरान 98.03 लीटर अवैध शराब बरामद कर 04 अभियुक्त व 04 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर (IPS) अनन्त चन्द्रशेखर व कृष्ण मुरारी शर्मा, क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के पर्यवेक्षण में अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक अलीनगर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.08.2025 को थाना अलीनगर पुलिस व आर0पी0एफ0 की संयुक्त कार्यवाही के में आरपीएफ द्वारा प्राप्त इनपुट के आधार पर चेंकिंग के दौरान लोको कालोनी स्थित लोको अस्पताल के पास करीब 19:00 बजे 08 शराब तस्करो (04 पुरुष व 04 महिला) को गिरफ्तार कर 50 अदद 8PM टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 85 अदद आफटर डार्क प्लास्टिक के टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 50 अदद आफिसर च्वाईस टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 52 अदद विन्डसर टेट्रा पैक देशी शराब प्रत्येक की मात्रा 200 ML व 325 अदद ब्लू लाईम देशी शराब टेट्रा पैक प्रत्येक की मात्रा 200 ML कुल 98.3 लीटर नाजायज अंग्रेजी शराब नाजायज अंग्रेजी/देशी शराब बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 384/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम लोग अवैध शराब को आस-पास के शराब ठेको से खरीद कर बिहार ले जाकर ऊँचे दामों पर बेचते हैं जिससे हमें अच्छा मुनाफा होता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मंजू देवी पत्नी डोमन चौधरी निवासी केशवपुर वार्ड नं0 13 थाना बरहन जिला औरंगाबाद (बिहार)
2. विन्ध्याचली देवी पत्नी मोती सेठ निवासी न्यू सिधौली वार्ड नं0 04 थाना डालमियानगर जिला रोहतास (बिहार)
3. सुमन पत्नी चन्द्रदेव भुईया निवासी न्यू गंगौली वार्ड नं0 01 प्रयाग बिगहा नहर थाना डालमियानगर जिला रोहतास (बिहार)
4. सुनीता कुमारी पत्नी मुकेश राम निवासिनी वार्ड नं0 19 जक्की बिगहा मनीनगर थाना डेहरी जिला रोहतास बिहार व

5.मनोज कुमार पुत्र बनारसी चौधरी निवासी निल कोठी वार्ड नं0-31 थाना डेहरी जिला रोहतास (बिहार)

6.मो० अशफाक पुत्र असगर निवासी वार्ड नं0-32 किला सासाराम थाना टाउन जिला रोहतास (बिहार)

7.आशुतोष पाण्डेय पुत्र मंगलेश्वर पाण्डेय निवासी आसापुर थाना सारनाथ जिला वाराणसी (उ0प्र0)

8.अंकित कुमार पुत्र स्व० रामचन्द्र निवासी सेमराडीह पोस्ट विसेनीकला थाना राजपुर जिला रोहतास (बिहार)

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु.अ.सं. 384/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक - 24.08.2025

समय - 19.00 बजे

स्थान - लोको कालोनी स्थित लोको अस्पताल के पास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

50 अदद 8PM टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 85 अदद आफटर डार्क प्लास्टिक के टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 50 अदद आफिसर च्वाईस टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 52 अदद विन्डसर टेट्रा पैक देशी शराब प्रत्येक की मात्रा 200 ML व 325 अदद ब्लू लाईम देशी शराब टेट्रा पैक प्रत्येक की मात्रा 200 ML कुल 98.3 लीटर बरामद बरामद शराब की अनुमानित कीमत (बिहार प्रान्त के अनुसार) करीब 120000/- रुपये आंकी गयी है।

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 राजेश कुमार राय , थाना अलीनगर जिला चन्दौली

3.का0 प्रवेश सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.म0का0 रिकू सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

आरपीएफ टीम-

1.स030नि0 श्री अरविंद कुमार सिंह RPF/DDU

2.आरक्षी संतोष कुमार त्रिपाठी RPF/DDU

3.महिला प्रधान आरक्षी रशीदा बानो CPDS/DDU

4.आरक्षी छोटेलाल यादव CPDS/DDU

5.आरक्षी प्रिंस कुमार CPDS/DDU

ऑपरेशन कन्विक्शन

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार (एएसजे कक्ष सं0-प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना चन्दौली के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 20.08.2022 को धारा 304 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. विरेन्द्र कुमार पुत्र दीना निवासी ग्राम डेवढ़ील थाना कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-195/2022 धारा 304 भादवि थाना कोतवाली चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

आदित्य लांगे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्ण मुरारी शर्मा के पर्यवेक्षण में मानिट्रिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी व संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना चन्दौली के पैरोकार हे0 का0 अजय कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-25.08.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार (एएसजे कक्ष सं0-प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1. विरेन्द्र कुमार पुत्र दीना निवासी ग्राम डेवढ़ील थाना कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली

→ थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक टाटा मैजिक वाहन से 02 राशि गोवंश बरामद कर, 25,000/- रुपये का इनामिया सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली:- आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली गोतस्करी के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर अपर पुलिस अधीक्षक सदर व स्नेहा तिवारी, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में अतुल कुमार थाना प्रभारी सकलडीहा के कुशल नेतृत्व में थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा भोजपुर देशी शराब ठेके के पास से बहदू ग्राम चेकिंग के दौरान कुछ समय पश्चात चेकिंग प्वाइंट से कुछ दूर पहले ही पुलिस टीम को देखकर वाहन चालक गाड़ी से उतर कर भागने का प्रयास किया जिसकी पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान जोगिन्दर राय पुत्र स्व० बाबू लाल राय निवासी महगांव शिवपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली व महेन्दर राय पुत्र प्यारे लाल राय निवासी सर्वानन्दपुर मथेला थाना बलुआ जनपद चन्दौली को एक टाटा मैजिक वाहन में 02 राशि गोवंशो को बरामद कर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-160/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.जोगिन्दर राय पुत्र स्व० बाबू लाल राय निवासी महगांव शिवपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 35 वर्ष
- 2.महेन्दर राय पुत्र प्यारे लाल राय निवासी सर्वानन्दपुर मथेला थाना बलुआ चन्दौली उम्र 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास 25,000/ रुपये का इनामिया अभियुक्त जोगिन्दर राय पुत्र स्व० बाबू लाल राय

- 1.मु०अ०सं०-69/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0-39/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3.मु0अ0सं0-112/2016 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

4.मु0अ0सं0-256/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

5.मु0अ0सं0-24/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

6.मु0अ0सं0-28/2019 धारा 420 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

7.मु0अ0सं0-66/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

1-02 राशि गोवंश जिन्दा

2-एक टाटा मैजिक वाहन सं0- UP67BT4085

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 लक्ष्मीकान्त मिश्र कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

3.हे0का0 अमित यादव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

4.हे0का0 सतीश यादव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

5.का0 प्रश्विन दूबे कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

6.का0 संदीप यादव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली